

दिनांक 17/08/2021

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी को प्रार्थना पत्र 18क पर सुना। प्रतिवादी ना तो उपस्थित आए हैं ना ही कोई आपत्ति प्रस्तुत की है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 18क

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18क में संक्षेप में यह कथन किया गया है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्वत्व का अधिकार जरिए पंजीकृत बैनामा दिनांक 16/05/1988 दाखिल किया है जिसकी पूरी जानकारी प्रतिवादी को है। प्रतिवादी विजय कुमारी पत्नी जितेंद्र कुमार ने दौरान मुकदमा जरिए पंजीकृत दान विलेख दिनांकित 01/11/2019 उक्त विवादित संपत्ति में से दान कर दिया है। जरिए विक्रय विलेख दिनांकित 28/12/2019 के द्वारा अरविन्द सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह तथा सत्य प्रकाश सिंह पुत्र श्री अवधेश सिंह द्वारा विवादित संपत्ति में से विक्रय संध्या पत्नी नीतेश कुमार पांडेय के पक्ष दौरान मुकदमा कर दिया गया है जिसकी जानकारी वादी को एक माह पूर्व तक नहीं थी। उक्त के संबंध में अरविन्द सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह तथा सत्य प्रकाश सिंह पुत्र श्री अवधेश सिंह तथा संध्या पत्नी नीतेश कुमार पांडेय को पक्षकार बनाने तथा उक्त दान विलेख तथा विक्रय विलेख के बाबत वाद पत्र में दफा 5 के बाद दफा 5अ तथा दफा 8 तथा दफा 9अ के बाद दफा 9अ-1 के संबंध में संशोधन चाहा गया है।

प्रतिवादी ना तो उपस्थित आए हैं न ही उनके द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 18क में दान विलेख तथा विक्रय विलेख के आधार पर नया पक्षकार जोड़ने तथा दान विलेख दिनांकित 01/11/2019 तथा बैनामा दिनांकित की 28/12/2019 की विधिक बाध्यता, स्वत्व, व अधिपत्य वादीगण पर नहीं होने की डिक्री फरमाए जाने के संबंध में संशोधन चाहा गया है। प्रार्थना पत्र 18क शपथपत्र 19ग से समर्थित है। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। न्याय की मंशा है की वाद में विद्यमान सभी विवादित बिंदुओं का निस्तारण एक ही वाद किया जाना चाहिए ताकि वादों की बहुलता को रोका जा सके। अतः वाद का गुण दोष पर निस्तारण के लिए तथा वादों की बहुलता को रोकने के लिए प्रार्थना पत्र 18क स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 18क स्वीकार किया जाता है। वादी संशोधन अंदर सप्ताह करे। वादी प्रतिवादीगण के सही पते पर की गई पैरवी के बाबत एक शपथपत्र भी अंदर सप्ताह दाखिल करे। बादहू संशोधन वादी प्रतिवादी संख्या 3ता 5 पर उभय प्रकार से पैरवी अंदर सप्ताह करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही दिनांक 25/08/2021 को पेश हो।

षष्टम अपर सिविल जज (जू०डि०)
मीरजापुर।